

13/11/25

अधिकार अपीलाट अनु! अपीलाट व उनके
अधिकार को न्यायालय की ओर से वार-
वार आवाजें लगाई गई लेकिन उनकी
ओर से कोई उप. नहीं आया। अतः पत्रावली
अदम हजरी एवं अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फ़ैमल शुमार होठ
नम्बर से कम होठ दायिगल दफ्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली